उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 1885 / मा0सं0 (04) / उ0नि0लि0 / 2018–3(10)मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 22 अक्टूबर 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–67 / 2016 / वे0आ0–2–1447 / दस–04(एम) / 2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के आधार पर सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से वेतनमान एवं भत्ते पुनरीक्षित किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0–1303 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(10)–मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–8 **"वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतन वृद्धि की तिथि" शीर्षक विषयांतर्गत**, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2 / 2018 / वे0आ0–2–78 / दस–2018–04(एम) / 2016 दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण, जिसे उ0प्र0पा0का0लि0 ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 535–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 18–5–काविनी एवं वे0प्र0 / 16 दिनाँक 18.06.2018 द्वारा निर्गत किया है, की अनुरूपता में निगम के कार्मिकों के सन्दर्भ में भी कार्यवाही किये जाने हेतु एतद्द्वारा नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित वर्तमान प्रभावी व्यवस्थाओं को स्तम्भ–2 के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है :–

स्तम्भ–1	*स्तम्भ–2*
कार्यालय ज्ञाप सं0–1303 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(10)–मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–8 की वर्तमान व्यवस्थायें।	**कार्यालय ज्ञाप सं0–1303 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(10)–मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–8 की प्रतिस्थापित व्यवस्था।**
8.(1) 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।	01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।
(2) ऐसा कर्मचारी, जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, **को वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसा कर्मचारी** जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों	ऐसा कर्मचारी, जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, **को आगामी 01 जनवरी को वेतन वृद्धि इस शर्त के** अधीन अनुमन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतन

दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।	वृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगमी 01 जुलाई को वेतन वृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो।
उदाहरण–	*उदाहरण–*
(क) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, **को अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।**	(क) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, **को अगली 01 जुलाई 2017 को वेतन वृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 को कोई वेतन वृद्धि आहरित न की गयी हो और इसके बाद वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।**
(ख) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतन वृद्धि 01 जनवरी 2017 को **देय होगी और इसके बाद में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।**	(ख) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड–वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतन वृद्धि 01 जनवरी 2017 को **इस शर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2016 को कोई वेतन वृद्धि आहरित न की गयी हो और इसके बाद वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।**
परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया	परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को निर्धारित

क्रमशः......3

गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।	कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

उपर्युक्त के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप सं0–1303/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(10)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 01.09.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0 : 1885–(1)–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक ओबरा/अनपरा/पारीछा एवं मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ पनकी(कानपुर)।
5. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/ईधन/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/जानपद–नवपरियोजनायें/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01/05/03/04/रिफार्म) उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. कट फाइल।

22/10/18

(कौशलेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–04)